

प्राथमिक शिक्षा में मध्यान्ह भोजन की उपादेयता

डा० बीना यादव,

एसोसिएट प्रोफेसर, बी०एड० विभाग,
खुन-खुन जी गर्ल्स डिग्री कालेज, लखनऊ

शोध सारांश

मध्यान्ह भोजन योजना 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के शारीरिक एवं शैक्षिक विकास के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सम्मिलित प्रयास से क्रियान्वित की जा रही है जिसमें विभिन्न एजेंसियों की सक्रिय भूमिका है जिसमें बच्चे, अभिभावक, शिक्षक, रसोइये स्थानीय निकाय, प्रशासनिक अमला शामिल हैं।

देश की आबादी का लगभग 70 प्रतिशत भाग गांवों में निवास करता है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था सरकारी विद्यालयों पर निर्भर है। सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो सके इसके लिए सरकार ने 300 की आबादी एवं 01 किमी की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय एवं 800 की आबादी एवं 03 किमी की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था से 06 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने में काफी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई है लेकिन मात्र प्रवेश दिला देने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी बच्चों को प्राप्त हो सके का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण छात्रों को विद्यालय में प्रवेश दिलाना है उससे कई गुना महत्वपूर्ण छात्रों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति है। क्योंकि जब छात्र प्रत्येक दिन विद्यालय में उपस्थित होगा तभी वह अपनी कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम को पूर्ण कर अपने में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को समाहित कर सकेगा।

लेकिन दुर्भाग्यवश विभिन्न कारणों से ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को विद्यालय में नियमित उपस्थिति नहीं हो पा रही है। इसके कारणों में

पहला तो यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी एवं गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक स्वयं शिक्षित नहीं हैं जिसके कारा वह शिक्षा की महत्ता एवं उपयोगिता से परिचित नहीं है। दूसरे आज भी ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश आबादी गरीबी एवं अभाव के बीच में गुजर बसर कर रही है जिसके कारण वह अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय खेत-खलिहान अथवा छोटे-मोटे रोजगार के लिए भेजना पसंद करते हैं अथवा माता-पिता दोनों जब मजदूरी करने जाते हैं तो अपने बड़े बच्चों को विद्यालय भेजने की बजाय अपने छोटे बच्चों की देखरेख के लिए घर पर ही रोकना पसन्द करते हैं। तीसरे विद्यालयों में पर्याप्त आधारभूत संरचना एवं शिक्षकों की कमी भी विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति को प्रभावित करती है।

गरीबी एवं अभाव से जूझ रही ग्रामीण क्षेत्र की आबादी के छात्रों को नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होने एवं पूरे स्कूल समय में छात्रों को विद्यालय में रोके रखने के लिए सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर मध्यान्ह भोजन योजना लागू की है। इस योजना से पहले छात्रों की विद्यालय में उपस्थिति बहुत कम होती थी और जो छात्र विद्यालय आते भी थे

वह दोपहर में मध्यावकाश में घर भोजन करने जाते थे। वह मध्यावकाश के बाद वापस विद्यालय लौटकर नहीं आते थे। ऐसी स्थिति में यह सोचा गया कि यदि दोपहर के समय विद्यालय में ही छात्रों को भोजन उपलब्ध करा दिया जाय तो वह भोजन करने के लिए घर नहीं जायेंगे जिससे घर से भोजनावकाश के बाद छात्रों के विद्यालय नहीं लौटने की समस्या का समाधान हो जायेगा और छात्र पूरे समय विद्यालय में उपस्थित रहकर अपने लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इससे ठहराव के साथ-साथ छात्रों की उपस्थिति एवं नामांकन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पहले सरकारी प्राथमिक विद्यालयों उसके बाद सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों और उसके बाद सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं मदरसों में भी इस योजना को लागू किया गया।

इस योजना के अन्तर्गत विद्यालय की छात्र संख्या के अनुसार गेहूं एवं चावल तथा दाल, सब्जी, मसाले, तेल, घी इत्यादि सामग्री के लिए प्रति छात्र की दर से कनवर्जन कास्ट उपलब्ध करायी जाती है। भोजन बनाने के लिए प्रत्येक विद्यालय में किचन कम स्टोर बनाये गये हैं। बर्तन, गैस सिलेण्डर की व्यवस्था की गयी है। भोजन बनाने के लिए प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो रसोइयों एवं छात्र संख्या अधिक होने पर छात्र संख्या के अनुपात में अतिरिक्त रसोइयों की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक दिन मीनू के अनुसार अलग-अलग प्रकार के गर्म भोजन बनाकर छात्रों में वितरित किया जाता है।

मध्याह्न भोजन योजना लागू होने से नामांकन उपस्थिति एवं ठहराव में वृद्धि तो हुई ही है इससे अन्य फायदे भी हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश छात्र कुपोषण का शिकार होते हैं जबकि मध्याह्न भोजन योजना में जो भोजन उपलब्ध कराया जाता है उसमें छात्रों की उम्र के

हिसाब से जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है खाद्य सामग्री, सब्जियों, दूध, फल इत्यादि के माध्यम से पूरी की जाती है। इसके साथ-साथ मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से छात्रों में साफ-सफाई की आदत का भी विकास होता है। मध्याह्न भोजन परोसने से पहले छात्रों का हाथ धुलवाया जाता है। छात्र पक्तिबद्ध तरीके से बैठकर एक साथ भोजन करते हैं जिससे उनमें अनुशासन पैदा होता है। इसके साथ ही अपने देश में व्याप्त एक महत्वपूर्ण कुरीति छुआछूत को दूर करने में भी इस योजना से मदद मिली है। जैसे ही मध्यावकाश की घंटी बजती है छात्र अपनी-अपनी कक्षाओं से निकलकर मल्टीपल हैण्टवाश स्टेशन पर जाकर हाथ धुलते हैं उसके पश्चात भोजन करने वाले स्थान पर बिछी चटाई पर बैठते जाते हैं कोई भी छात्र यह नहीं देखता है कि उसके बगल में किस जाति या धर्म का छात्र बैठकर भोजन कर रहा है। इसी प्रकार रसोइये भी विभिन्न जाति, धर्म के होते हैं।

मध्याह्न भोजन बढ़ती उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मददगार साबित हो रहा है। यह छात्रों को सन्तुलित भोजन उपलब्ध करवाता है। यह कुपोषण से होने वाली बीमारी को नियन्त्रित करने में मदद करता है। मध्याह्न भोजन बच्चों में अतिरिक्त उर्जा पैदा करने के साथ घर और विद्यालय के बीच एक मजबूत बन्धन को बनाता है। यह बच्चों में जिम्मेदारी की भावना को जगाकर उनमें स्वस्थ नेतृत्व को विकसित करता है।

इस योजना को राज्य सरकारों की सर्वशिक्षा अभियान समितियों के द्वारा संचालित कराया जाता है। ये समितियां अपने-अपने क्षेत्र में इस योजना का संचालन तथा निगरानी करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में ही भोजन उपलब्ध कराया जाता है। सरकारी दावे के अनुसार कक्षा-1 से 5 तक प्रत्येक बच्चे का प्रतिदिन 100 ग्राम अनाज, दाल, सब्जी दिए जा रहे हैं और

कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक छात्रों को प्रतिदिन 150 ग्राम अनाज, दाल, सब्जी दिए जा रहे हैं।

शैक्षिक परिणामों पर मध्याह्न भोजन का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता रहा है। छात्रों के नामांकन की स्थिति में वृद्धि होती देखी गई। छात्रों की कुल संख्या (6-11 वर्ष), जो स्कूल नामांकन के योग्य थे। उनकी, कुल जनसंख्या की 14 प्रतिशत थी। एम0डी0एम0 कार्यक्रम के साथ स्कूलों में दाखिला संख्या 68 प्रतिशत हो गयी। मिड-डे मील के प्रभाव से छात्रों की उपस्थिति में भी बढ़ोत्तरी हो गई। मध्याह्न भोजन योजना ने छात्रों की संख्या को बढ़ाने में सहयोग किया। जो छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ (ड्राप आउट) देते हैं उनके लिए ये कार्यक्रम आकर्षण का केन्द्र है जिससे वे विद्यालय में रुकने को बाध्य हो गए। छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन में सुधर और बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। मिड-डे मील वाले स्कूलों में ग्रेड-ए वाले छात्रों का अनुपात बढ़ गया है। छात्रों के उपलब्धि स्तर में भी सकारात्मक बढ़ोत्तरी देखने को मिलती है। मिड-डे-मील प्रतिधारण की दर को उचित तरीके से कम किया है।

निष्कर्ष

मध्याह्न भोजन योजना एक बहुत बड़ी योजना है जिससे पूरे देश में करोड़ों बच्चे आच्छादित हैं।

इसको क्रियान्वित करने में बहुत सी समस्याएँ जैसे-अचानक रसोई गैस समाप्त हो जाना, कभी-कभी समय पर खाद्यान्न उपलब्ध न हो पाना, रसोइयों की समय से मानदेय उपलब्ध न हो पाना इत्यादि के बावजूद यह योजना लम्बे समय से अनवरत संचालित हो रही है। इसके वजह से छात्रों का नामांकन उपस्थिति एवं पूरे समय विद्यालय में छात्रों का ठहराव सुनिश्चित करने में सफलता मिली है। लाखों की संख्या में रसोइया के रूप में रोजगार भी मिला है जिसमें स्त्रियों की संख्या अधिक है। छोटी-मोटी कमियों को दूर कर इस योजना को और आकर्षक बनाया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. समाचार पत्र
2. पत्रिकाएं
3. <https://www.yojnaschemehindi.com>
4. <https://hi.uniapadia.org>.
5. <https://www.samareduction.com>
6. <https://restbook.com.as.preperation>
7. <https://dhyeyaias.com>.